International Journal of Research in Social Sciences
Vol. 7 Issue 7, July 2017,
ISSN: 2249-2496 Impact Factor: 7.081
Journal Homepage: http://www.ijmra.us, Email: editorijmie@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal - Included in the International Serial Directories Indexed & Listed at: Ulrich's Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gage as well as in Cabell's Directories of Publishing Opportunities, U.S.A

मानवाधिकार एवं दुर्बल समूह (महिलाएं): एक अध्ययन

संघ सेन सिंह*

ऐसे अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं, उसे हम मानवाधिकार कहते हैं। हेराल्ड लास्की ने अधिकार को परिभाषित करते हुये लिखा है कि 'अधिकार मानव जीवन की ऐसी परिस्थितियां हैं, जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता।' अतः मानवाधिकार मनुष्य के सम्पूर्ण विकास के लिये आवश्यक परिस्थितियां हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की प्रभावी प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। परन्तु समाज में आज भी कुछ ऐसे वर्ग हैं, जो प्राकृतिक या सामाजिक रूढ़ियों के कारण इन अधिकारों से वंचित है, इन्हें ही दुर्बल समूह कहा जाता है। इनमें महिलाएं, बच्चे विकलांग, वृद्ध, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं प्रवासी कर्मचारी है, जिनके अधिकारों की रक्षा मानव समाज के लिये एक चुनौती है। स्वस्थ्य समाज के लिये इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से प्रयास हुये हैं, परन्तु इनके अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाये हैं। प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के मानवाधिकार के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रगति का विश्लेषण करेंगे।

* एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग श्यामा प्रसाद मुख़र्जी राजकीय महाविद्यालय इलाहाबाद

महिलायें:– इन दुर्बल समूहों में सबसे बड़ा समूह महिलाओं का है।

महिलायें और पुरूष आज की असमान दुनिया में रहते हैं। लिंग पर आधारित अन्तर और अस्वीकार्य असमानतायें सभी देशों में आज भी जारी है। आज दुनिया का शायद ही कोई देश है। जहां महिलायें पुरूषों के साथ समान अधिकार का उपयोग करती है। महिलाओं के साथ भेदभाव और उन्हें हाशिये पर कर दिये जाने का कार्य बड़ी दक्षता और सम्मानजनक तरीके से किया जाता है। उत्पाद्य के फल में उनकी बराबर की सहभागिता नहीं है। दुनिया के गरीबों में 70 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है।[1] इस प्रकार महिलाओं से सम्बन्धित मामले वैश्विक और सार्वभौमिक हैं। घोर रूप से संस्थापित दृष्टिकोण एवं व्यवहार, महिलाओं के विरूद्ध असमानता एवं भेदभाव को सार्वजनिक और निजी जीवन में दिनचर्या के रूप में दुनिया के सभी भागों में स्थायी रूप से बनाया गया है। जबकि न्यायोचित एवं जनतांत्रिक समाज के विकास हेतु सभी के लिये अवसर की समानता अनिवार्य है। समानता, विकास और शांति पर आधारित समाज के लिये महिलाओं का सर्वांगीण विकास अतिआवश्यक है।

संयुक्त राश्ट्र संघ चार्टर के प्रावधान

इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लिंग पर आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव का प्रतिषेध करता है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की उद्देशिका ''पुरूषों एवं महिलाओं के समान अधिकार की बात करती है। अनुच्छेद 1 (3) में प्रावधान है कि 'मानव अधिकारों के लिये और किसी प्रकार के जाति, लिंग, भाषा या धर्म पर आधारित किसी भेदभाव के बिना सबकी मौलिक स्वतंत्रता के लिये आदर की भावना को बढ़ावा और प्रोत्साहन देना।' अनुच्छेद 8 में प्रावधान है कि 'संयुक्त राष्ट्र

संघ अपने मुख्य तथा सहायक अंगों में स्त्रियों एवं पुरूषों की किसी भी हैसियत से और समानता के आधार पर भाग लेने की पात्रता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगायेगा।'

स्त्री–पुरूश समता हेतु संयुक्त राश्ट्र द्वारा किये गये उपाय

स्त्रियों और पुरूषों के बीच समानता को बढ़ावा देने और स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्रसंघ के मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से प्राप्त हुई, जिसने गैर भेदभाव के एक सामान्य मानक की स्थापना की। यह पुरूषों और महिलाओं के समान संरक्षण के प्रावधान का भी प्रतिपादन करता है। घोषणा के अनुच्छेद–7 के अनुसार 'कानून की निगाह में सभी कानूनी सुरक्षा के अधिकारी है। यदि इस घोषणा का अतिक्रमण करके कोई भी भेदभाव किया जाये, इस प्रकार के भेदभाव को किसी प्रकार उकसाया जाय तो उसके विरूद्ध समान संरक्षण का अधिकार सभी को प्राप्त है। इसी प्रकार मानवाधिकार सम्बन्धी **आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा** के अनुच्छेद 3 में प्रावधान है कि 'वर्तमान प्रसंविदा के राज्य पक्षकर यह वचन देते हैं कि वे वर्तमान प्रसंविदा में उल्लिखित सभी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के उपयोग में पुरूषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे।' इसी प्रकार **नागरिक और राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राश्ट्रीय प्रसंविदा** (1966) के अनुच्छेद–3 में प्रावधान है कि 'वर्तमान प्रसंविदा के राज्य पक्षकार यह वचन देते है कि वे वर्तमान प्रसंविदा में उल्लिखित सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के उपयोग में पुरूषों एवं स्त्रियों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करेंगे। अनुच्छेद 2 (1) में कहा गया है कि प्रसंविदा के समस्त अधिकार मूलवंश, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक या अन्य विचार के राष्ट्रीय या सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म या

अन्य प्रास्थिति के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों को लागू होगें। अनुच्छेद 4 (1) में भी कहा गया कि कई अन्य आधारों के होते हुए भी लिंग के आधार पर आपातकाल के समय भी प्रसंविदा में उल्लिखित अधिकारों को लागू करने के लिये विभेद नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 23 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक विवाह योग्य महिला और पुरूष को विवाह का अधिकार है। अनुच्छेद 23 (3) के अनुसार विवाह के इच्छुक पक्षकारों की विवाह के लिये स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत लिंग के विभेद के बिना महिलाओं को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में किये गये तमाम उपाय **स्त्रियों की पास्थिति पर आयोग** (Commission on the Status of Women) के प्रयत्नों का परिणाम हैं। इस आयोग की स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की प्रास्थिति के अध्ययन के लिये की थी। मूलतः यह सामाजिक मामलों के विभाग के मानवाधिकार प्रखण्ड के अन्तर्गत एक अनुभाग के रूप में कार्य करता था, किन्तु अब यह सामाजिक आर्थिक परिषद का अभिन्न एवं महत्वपूर्ण भाग बन चुका है।

महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का समापन सम्बन्धी अभिसमय

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 नवम्बर, 1967 को महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा अंगीकार किया और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धान्तों के कार्यान्वयन के लिये **महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय** (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) 18 दिसम्बर, 1979 को महासभा द्वारा अंगीकार किया गया। 3 दिसम्बर, 1981 से यह अभिसमय प्रवर्तन में आया। अब

तक 189 राज्य इसके पक्षकार बन चुके हैं। भारत द्वारा इसका अनुसमर्थन 1993 में किया गया। इसमें कुल 30 अनुच्छेद है। यह 6 भागों में बंटा हुआ है। इस अभिसमय का उद्देश्य महिलाओं की उन्नति में बाधक सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना है।

अभिसमय के भाग 01 में अनुच्छेद 1 से 6 तक हैं। अनुच्छेद 1 में किसी भी महिला के विरूद्ध विभेद का अर्थ लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध, अन्तर या वर्जना के रूप में किया गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार अभिसमय को अंगीकृत करने वाले पक्षकार राज्य महिलाओं को पुरूषों के समान प्रास्थिति देने के लिये उपबन्ध अपने संविधान में करेंगे। अनुच्छेद 3 के अनुसार पक्षकार राज्य महिलाओं की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में उन्नति और विकास के लिये मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं को पुरूषों के समान ही प्रदत्त करने के लिये विधियों में उपयुक्त उपाय करेंगे। अनुच्छेद 4 में यह उपबन्ध है कि महिलाओं को प्रसूति सहायता की विशेष सुविधाएं प्रदान करने को पुरूष के साथ विभेद नहीं माना जायेगा। अनुच्छेद 6 के अनुसार महिलाओं के दुर्व्यापार, शोषण और वैश्यावृत्ति को समाप्त करने के लिये पक्षकार राज्य विधि बनाने सहित अनेक उपाय करेंगे।

अभिसमय के भाग–2 में अनुच्छेद 7 से 9 तक है। इनमें महिलाओं को राजनैतिक एवं राष्ट्रीय अधिकार दिये गये है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पक्षकार राज्य देश की महिलाओं के विरूद्ध राजनैतिक और लोकजीवन के विभेद को समाप्त करने का सम्यक उपाय करेंगे और महिलाओं को सभी चुनावों में मत देने तथा लोक निकायों में चुनाव लड़ने का पुरूषों के समान अधिकार होगा। अनुच्छेद–9 के अनुसार महिलाओं को पुरूषों के समान ही राष्ट्रीयता प्राप्त करने, परिवर्तित

करने या बनाये रखने का अधिकार होगा। विवाह के बाद भी यह अधिकार सुरक्षित रहेगा। बच्चों के राष्ट्रीयता के मामले में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार होंगे।

अभिसमय के भाग–3 में अनुच्छेद 10 से 14 तक हैं। अनुच्छेद–10 के अनुसार महिलाओं को तकनीकी व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के लिये पुरूषों के समान शिक्षा व्यवस्था छात्रवृत्ति व्यवस्था, साक्षरता की व्यवस्था, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा में भाग लेने का अवसर और परिवार के स्वास्थ्य संरक्षा की व्यवस्था के उपाय पक्षकार राज्य करेंगे। अनुच्छेद–11 महिलाओं के लोक नियोजन में समता से सम्बन्धित है। अनुच्छेद 12 महिलाओं के लिये पुरूषों के समान स्वास्थ्य संरक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति की संरक्षा से सम्बन्धित है।

भाग–4 में अनुच्छेद 15 और 16 है। अनुच्छेद 15 के अनुसार महिलाओं को भी पुरूषों के समान सम्पत्ति रखने संविदा करने और विकास का चयन करने के अधिकार के लिये पक्षकार राज्य उपाय सुनिश्चित करेंगे। अनुच्छेद–16 में महिलाओं को पुरूषों के समान ही विवाह करने, स्वतंत्र रूप से दम्पत्ति का चयन करने, बच्चों के सम्बन्ध में समान अधिकार देने और सम्पत्ति पर अधिकार रखने के उपबन्ध किये गये हैं।

अभिसमय के भाग–5 में अनुच्छेद 17 से 22 तक हैं। अनुच्छेद 17 में अभिसमय के उपबन्धों को लागू करने के लिये एक समिति के गठन का उपबन्ध किया गया। इस समिति में अभिसमय से सम्बन्धित विशेषज्ञ होंगे। इनका निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा पक्षकार राज्यों के नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से 04 वर्ष के लिये किया जाता है।

अभिसमय के भाग 6 में अनुच्छेद 23 से 30 तक हैं। अनुच्छेद 23 में यह कहा गया है कि इस अभिसमय का प्रभाव उन उपबंधों पर नहीं पड़ेगा जो राज्य विधि और अंतर्राष्ट्रीय विधि में महिलाओं की समानता के लिये इस अभिसमय के उपबंधों से अधिक उपयोगी है। इसके अतिरिक्त अभिसमय के अनुच्छेद 25 में हस्ताक्षर के उपबन्ध तथा अनुच्छेद–29 में अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले विवादों को समाप्त करने के लिये मध्यस्थता का उपबन्ध भी किया गया है।

विवाहित महिलाओं की राश्ट्रीयता का अभिसमय

महिलाओं को पुरूषों के समान राष्ट्रीयता प्रदत्त करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिये राष्ट्रीयता अभिसमय 29 जनवरी, 1957 को पारित किया। यह अभिसमय 11 अगस्त, 1958 से प्रवर्तन में आया। इस अभिसमय के पक्षकार राज्य विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में पुरूषों के समान ही उपबन्ध बनाने के लिये आबद्धकर है। किसी भी महिला को विधि के उपबंधों के अन्तर्गत स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रीयता ग्रहण करने का अधिकार है। यह अधिकार महिलाओं को ठीक उसी प्रकार प्राप्त है जिस प्रकार पुरूषों को स्वेच्छापूर्वक राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है।

महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति हेतु ऐच्छिक नयाचार

महिलाओं के विरूद्ध सभी रूपों में भेदभाव की समाप्ति के लिये अभिसमय पर ऐच्छिक नयाचार को संयुक्त राष्ट्रमहासभा द्वारा 07 अक्टूबर, 1999 को अंगीकार किया गया। यह लैंगिक भेदभाव, यौन–शोषण एवं अन्य दुरूपयोग से पीड़ित महिलाओं तथा महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति के लिये नयाचार के राज्य पक्षकारों के विरूद्ध समर्थ बनाता है। इस नयाचार का

अनुच्छेद–21 यह शर्त रखता है कि यह नयाचार उस समय लागू होगा जब कम–से–कम दस राज्यों द्वारा इसका अनुसमर्थन किया जायेगा। यह नयाचार वर्ष 2001 से लागू हो गया और वर्तमान में इसके एक सौ से अधिक पक्षकार है। यह नयाचार सरकारों को उनकी व्यवस्थाओं के अन्वेषण करने के लिये समिति के गठन करने की भी स्वीकृति देता है। राज्य ऐच्छिक नयाचार के पक्षकार राज्य सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उन पर विचार करने के लिये समिति की सक्षमता को मान्यता प्रदान करते हैं। सूचना व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों की ओर से उनकी सहमति से प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी सूचना लिखित रूप में ही प्रस्तुत की जा सकती है और इसमें प्रस्तुतकर्ता को अपना नाम बताना आवश्यक होता है। किसी मामले पर विचार किये जाने से पूर्व समिति को यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि मौजूदा सभी घरेलू उपायों का उपयोग कर लिया गया है और मामले की परीक्षा समिति द्वारा न तो की गयी है और नहीं उसका परीक्षण अन्तर्राष्ट्रीय अन्वेषण अथवा व्यवस्थापना की किसी अन्य प्रक्रिया के अधीन किया जा रहा है। इसके अलावा कोई मामला केवल तभी स्वीकार किया जायेगा, जब वह अभिसमय के प्रावधानों के अनुरूप हो।

जैसे ही समिति को कोई सूचना प्राप्त होती है उसके पास राज्य पक्षकारों से सम्पर्क साधने का विकल्प रहता है कि राज्य पक्षकार पीड़ित व्यक्ति/व्यक्तियों को हुई क्षति की भरपाई और उसके संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाये। जब सूचना स्वीकार कर लिया जाता है, तो समिति द्वारा उसे गुप्त रूप से राज्य पक्षकार के संज्ञान में लाया जाता है और समिति द्वारा राज्य पक्षकार को उसका स्पष्टीकारण देने हेतु छः महीने का समय दिया जाता है। समिति सभी सूचनाओं का

परीक्षण करती है और अपनी अनुशंसाओं को राज्य पक्षकारों के पास भेज देती है। राज्य पक्षकारों को समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने तथा निदानात्मक कदम उठाने के संबंध में उत्तर प्रस्तुत करने हेतु छः महीने का समय दिया जाता है।

नयाचार में उस जांच प्रक्रिया का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जिसका अनुसरण समिति द्वारा ऐसे मामलों की जांच हेतु किया जाता है। जिसमें वह किसी राज्य पक्षकारों के विरूद्ध गंभीर उल्लंघन की विश्वसनीय सूचना प्राप्त करती है। राज्य पक्षकार की सहमति से समिति राज्य पक्षकार के राज्यक्षेत्र को भी देख सकती है। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि राज्य पक्षकारों के पास समिति द्वारा किसी जांच के संबंध में समिति की सक्षमता की मान्यता को अस्वीकृत करने का भी विकल्प होता है और जिन राज्य पक्षकारों ने ऐसे जांच हेतु समिति को अपनी स्वीकृति दे दी हो, वे इसे वापस भी ले सकते हैं।

महिलाओं के सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1976–1985) के दौरान संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा तीन सम्मेलन आयोजित किये गये–

1. मैक्सिकों सिटी सम्मेलन (1975)
2. कोपेनहेगन सम्मेलन (1980) तथा
3. नैरोबी सम्मेलन (1985)

1975 का **मैक्सिको सम्मेलन** महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग की मांग पर आयोजित किया गया, जिसमें 133 सरकारी प्रतिनिधियों ने मांग लिया। आयोग ने वर्ष 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला

वर्ष के रूप में मनाये जाने का भी आह्वान किया। इस सम्मेलन में महिलाओं की उन्नति हेतु 1985 तक के लिये एक विश्व कार्य योजना एवं व्यापक दिशा निर्देश जारी किया गया। 1980 के **कोपेनहेगन सम्मेलन** में विश्व के 145 देशों ने भाग लिया जिसमें प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा की गई जिसका मुख्य बल महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर था। 1985 का **नैरोबी सम्मेलन** संयुक्त राष्ट्र महिला दशक की उपलब्धियों की समीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 157 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में वर्ष 2000 तक महिलाओं के लिये **'आगामी दृश्टि संबंधी रणनीति** (Forward Looking Strategies to the year 2000) प्रस्तुत की गई। यद्यपि अधिकांश क्षेत्रों में इसका सम्यक रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया तथापि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार की दिशा में कुछ प्रगति अवश्य हुई।

महिलाओं पर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1995 में चीन की राजधानी बीजिंग में किया गया जिसे **'बीजिंग सम्मेलन'** के नाम से जाना जाता है। बीजिंग सम्मेलन में लैंगिक समानता के लिये वैश्विक कार्यसूची का एक महत्वपूर्ण मोड़ दिखाई दिया। 189 देशों द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृत **बीजिंग घोशणा एवं कार्यवाही मंच** (The Beijing Declaration and The Platform for action) एक महत्वपूर्ण एजेंडा है और इसे लैंगिक समानता पर मुख्य वैश्विक दस्तावेज माना जाता है। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार से जुड़े विभिन्न निकायों के कार्य में महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति निष्ठा रखने की अपेक्षा की गई और ऐसे किसी भी संघर्ष को समाप्त करने की बात कहीं गई जो रूढ़ियों, धार्मिक अतिवादिताओं एवं

सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के कारण उत्पन्न होते हैं। सम्मेलन में कार्ययोजना का एक प्रारूप तैयार किया गया जिसमें महिलाओं से जुड़े ऐसे 12 क्षेत्रों की पहचान की गई, जो लैंगिक समानता की प्राप्ति के लिये कार्यनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं–

1. महिलाएं और गरीबी
2. महिलाओं के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण
3. महिलाएं और स्वास्थ्य
4. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा
5. महिलाएं एवं सशस्त्र संघर्ष
6. महिलाएं और अर्थव्यवस्था
7. सत्ता और निर्णय निर्माण में महिलाएं
8. महिलाओं की उन्नति के लिये संस्थागत तंत्र
9. महिलाओं के मानवाधिकार
10. महिलाएं एवं संचार माध्यम
11. महिलाएं एवं पर्यावरण
12. महिलाएं एवं पर्यावरण शिशु कन्या

वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र महसभा द्वारा बीजिंग सम्मेलन में उठाने गये मुद्दों की प्रगति का निर्धारण करने हेतु विशेष सत्र का आयोजन किया गया जिसे **बीजिंग +5** (Beijing +5) के नाम से जाना जाता है जिसका शीर्षक 21वीं शताब्दी हेतु ''महिलाओं पर विशेष सत्र 2000 लिंग,

समानता, विकास एवं शांति'' रखा गया। इसमें बीजिंग सम्मेलन में अंगीकृत किये गये कार्य योजना एवं घोषणा का नवीनीकरण किया गया। प्रतिनिधियों में इस बात पर सहमति थी कि बीजिंग सम्मेलन में निर्धारित किये गये लक्ष्यों का क्रियान्वयन संपूर्ण तरीके से नहीं हो सका है। वर्ष 2005 में महिलाओं की प्रास्थिति पर आयोग के 49वें सत्र के एक भाग के रूप में कार्यवाई के लिये बीजिंग मंच का 10वीं समीक्षा एवं मूल्यांकन बैठक आयोजित की गई। जिसे **बीजिंग +10** (Beijing +10) के नाम से जाना जाता है। सभी प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से यह स्वीकार किया कि बीजिंग घोषणा के प्रभावी कार्यान्वयन एवं कार्यवाही के लिये मंच आवश्यक है।

वर्ष 2010 में आयोग के 54वें अधिवेशन में कार्यवाही के लिये बीजिंग मंच की 15 वर्षीय समीक्षा बैठक हुई। सभी सदस्य देशों ने एक घोषणा स्वीकार किय, जिसमें महिला समानता प्राप्त करने के लिये हुई प्रगति का स्वागत किया गया और बीजिंग के घोषणा पत्र एवं मंच का पूर्ण एवं तत्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये आगे की कार्यवाई का संकल्प लिया गया। वर्ष 2013 के मध्य में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ने महिलाओं की प्रास्थिति संबंधी आयोग से अनुरोध किया कि वह 2015 में कार्यवाही के मंच की कार्यावन्यन की समीक्षा एवं मूल्यांकन करें। यह समीक्षा बैठक 2015 में सम्पन्न हुई, जिसे **बीजिंग +20** के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में यह आह्वान किया गया कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्य व्यापक राष्ट्रीय समीक्षा करें और साथ ही क्षेत्रीय आयोगों को प्रोत्साहित किया गया िकवे क्षेत्रीय समीक्षा करें।

महिला मानवाधिकार की प्राप्ति उनके प्रति होने वाले भेदभाव की समाप्ति एवं विश्व भर में लैंगिक

समानता स्थापित करने हेतु आयोजित किये गये अनेकों सम्मेलन एवं बैठकों के आयोजन तथा सदस्य राष्ट्रों द्वारा इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के बावजूद भी वैश्विक स्तर पर महिला मानवाधिकारों की प्राप्ति की दिशा में अभी अनेकों बाधाएं हैं क्योंकि महिलाओं के मानवाधिकारों का विश्वव्यापी स्तर पर विभिन्न तरीकों से उपेक्षा एवं उल्लंघन हो रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा एवं उनका यौन शोषण एक वैश्विक घटना है। जिससे शायद ही कोई देश, समाज अथवा समुदाय बचा हो। महिलाओं के प्रति हिंसा एवं भेदभाव का एक बड़ा कारण हमारे सामाजिक एवं धार्मिक प्रतिमानों एवं मूल्यों में जमी हुई हैं और यही कारण है कि महिला मानवाधिकारों की बहाली हेतु आयोजित तमाम अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं बैठक भी अपेक्षित वांछित प्रभाव नहीं डाल सके है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के परिणामस्वरूप भी महिलाओं की स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं आ सका है। तथापि यह अवश्य है उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप विगत् दशकों में महिला मानवाधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता एवं संवेदनशीलता में वृद्धि हुई है। स्वयं महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले के मुकाबले अधिक मजबूत, संगठित तथा जागरूक हुई है। साथ ही विश्व के विभिन्न समाजों एवं समुदायों ने शिक्षा एवं जागरूकता की क्रमशः प्रगति के साथ–साथ महिलाओं के प्रति अपने परम्परागत दृष्टिकोण में बदलाव कर महिला मानवाधिकारों को स्थापित करने की दिशा में बेहतर माहौल बनाने का कार्य किया है।

संदर्भ

1. साह, बी. एल एवं कलौनी, कैलाश चन्द्रः मानवाधिकार (अंकित प्रशासन, हल्द्वानी) 2016
2. शर्मा, शिवदत्तः मानव अधिकार (विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार) 2006
3. त्रिपाठी, टी.पी.ः मानव अधिकार (इलाहाबाद लॉ एजेन्सी प्रकाशन, इलाहाबाद) 2017
4. अग्रवाल, एच.ओ.ः मानवाधिकार (सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद) 2016
5. सिंह करण बहादुर ,महिला अधिकार व सशक्तिकरण ,कुरूक्षेत्र , मार्च 2006
6. बसु, आचार्य डॉ. दुर्गा दास, (2009), भारत का संविधान–एक परिचय, नौवां संस्करण लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थस वधवा, नागपुर
7. कुमार मनोज ''ग्रामीण महिला एवं राजनीतिक सशक्तिकरणः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' मुजफ्फर नगर जिला के ग्रामीण क्षेत्र के संदर्भ में।
8. हसनैन, नदीम (2004) समकालीन भारतीय समाज, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
9. परमार शुभ्रा ''भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व के तंत्र''
10. श्रीमती पूजा शर्मा, महिलायें एवं मानवाधिकार, सागर पब्लिशर्स, जयपुर, 2005, पृष्ठ संख्या 125।
11. राम आहुजा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर जयपुर, 2001, पृष्ठ संख्या 231।

12. ज्ञानेन्द्र रावत् औरतः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2005 पृष्ठ स ंख्या 204।

13. सीमा जौहरी, जे0 सी0 जौहरी, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के सिद्धान्त, स्टार्लिग पब्लिशर्स, 2001, पृष्ठ स ं0 239।

14. सुरेश लाल श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला आयोग, कुरूक्षेत्र, मार्च 2007

15. चन्देल धर्मवीर (2012), ''भारतीय महिला का राजनीतिक अध्ययन''

16. गुप्ता कमलेश कुमार, महिला सशक्तिकरण,बुक एनक्लेव, जयपुर

17. जोशी, पुष्पा (1988) गांधी आन वोमन, सेन्टर फार वोमन'स डेवलपमेन्ट स्टडीज, दिल्ली